बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
विमुक्ति आदेश

पत्रांक : 10/व–11/2022(अंश)–395

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा: **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनांक–21/03/2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों में विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या–66 दिनांक–30.05.2025 के अंतर्गत रू० 20,00,00,000/– (बीस करोड़ रूपये) मात्र सहायक अनुदान वेतन मद की विमुक्ति के संबंध में।

आदेशः– **स्वीकृत।**

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में मानक मंडल के अन्तर्गत विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु वित्त विभाग की सहमति उपरांत निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–66 दिनांक–30.05.2025 द्वारा रू0 2,19,69,00,000/–(दो सौ उन्नीस करोड़ उन्नहत्तर लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं 72,49,77,000/–(बहत्तर करोड़ उनचास लाख सतहत्तर हजार रूपये) विमुक्ति प्रदान की गयी थी। तद्परांत पूर्वोक्त स्वीकृत राशि के अवशेष राशि में से विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–192 दिनांक–10.09.2025 द्वारा रूपये 44,61,00,000/–(चौवालीस करोड़ इकसठ लाख रूपये) मात्र की विमुक्ति तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–297 दिनांक–29.12.2025 द्वारा रूपये 82,58,23,000/–(बयासी करोड़ अट्ठावन लाख तेईस हजार रूपये) मात्र की विमुक्ति प्रदान की गयी थी। स्वीकृत राशि अंतर्गत वर्त्तमान में अवशेष राशि रूपये 20,00,00,000/– (बीस करोड़ रूपये) के अंतर्गत राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों में मानक मंडल के अंतर्गत विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि एवं अंतर वेतनादि सहायक अनुदान भुगतान हेतु रूपये 20,00,00,000/–(बीस करोड़ रूपये) मात्र की विमुक्ति प्रदान की जाती है।

2. राशि का विकलन माँग संख्या–21–शिक्षा विभाग, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–05–भाषा विकास, लघु शीर्ष–103 संस्कृत शिक्षा, उप शीर्ष–0003–गैर सरकारी संस्कृत विद्यालय, विपत्र कोड–21–2202–05–103–0003 के विषय शीर्ष–0003–31–04–सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित बजट राशि से किया जायेगा।
3. प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से इस विपत्र अंतर्गत सहायक अनुदान वेतन मद में रूपये 2,21,00,00,000/–(दो अरब इक्कीस करोड़ रूपये) मात्र अतिरिक्त उपबंध किया गया है।
4. अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को बैंक खाते के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) सुनिश्चित करेंगे की राशि का भुगतान विधिवत संचालित अनुदानित संस्कृत विद्यालयों में विधिवत रूप से स्वीकृत पद के विरूद्ध नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को किया गया है।
5. वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त कोटि के अनुदानित संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों के लिए विमुक्त राशि का आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार संबंधित जिला को CFMS के माध्यम से विहित

प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा संबंधित जिलों के कोषागार के माध्यम से नियमानुसार की जायेगी। आवंटित राशि का लेखा–जोखा जिला कार्यालय द्वारा बिल्कुल अलग रखा जायेगा।

6. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 एवं महालेखाकार, बिहार के पत्रांक–877–907 दिनांक–08.11.2007 के आलोक में राशि आवंटन होने के पश्चात राशि की निकासी की जाएगी अतएव महालेखाकर से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. जिला ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र में प्रमाणित करना होगा कि उनके द्वारा विधिवत संचालित संस्कृत विद्यालयों से अंकेक्षित लेखा विवरणी प्राप्त कर यथा ससमय महालेखाकार कार्यालय को भेजा जायेगा। 18 माह पूर्व सभी स्वीकृत एवं आवंटित राशि के विरूद्ध प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत करा लिया जायेगा।
8. उक्त राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 में दिये गये निदेशों का अनुपालन किया जाय।
9. उक्त राशि वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–6 (छ) में निहित निदेशों के आलोक में विमुक्त की जा रही है।
10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0–167–168/टि0 पर प्राप्त है।
11. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0–171/टि0 पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापाक : 10/व–11/2022(अंश)................. पटना, दिनांक....................................

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापाक : 10/व–11/2022(अंश)–395 पटना, दिनांक 21/03/2026

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रभारी पदाधिकारी, ए0सी0–डी0सी0 एवं उपयोगिता कोषांग, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/सभी कोषागार पदाधिकारी/अध्यक्ष/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–10/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा, (प्रशाखा–05) शिक्षा विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा एवं अंकेक्षण एवं लेखा शाखा)/आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.3.26

सरकार के उप सचिव

अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों हेतु विमुक्ति की राशि रूपये 20,00,00,000/-(बीस करोड़ रूपये) मात्र के अंतर्गत जिलों को आवंटित की जाने वाली राशि।		
क्र.स.	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	Araria	0
2	Arwal	0
3	Aurangabad	25000000
4	Banka	15000000
5	Begusarai	5000000
6	Bhagalpur	0
7	Bhojpur	20000000
8	Buxar	15000000
9	Darbhanga	30000000
10	East Champaran	1000000
11	Gaya	2500000
12	Gopalganj	2500000
13	Jamui	0
14	Jehanabad	10000000
15	Kaimur	0
16	Katihar	0
17	Khagaria	0
18	Kishanganj	0
19	Lakhisarai	0
20	Madhepura	0
21	Madhubani	0
22	Munger	0
23	Muzaffarpur	10000000
24	Nalanda	4000000
25	Nawada	0
26	Patna	1000000
27	Purnia	1000000
28	Rohtas	1000000
29	Saharsa	0
30	Samastipur	10000000
31	Saran	10000000
32	Sheikhpura	0
33	Sheohar	0
34	Sitamarhi	10000000
35	Siwan	0
36	Supaul	0
37	Vaishali	7000000
38	West Champaran	20000000
	कुल	200000000